न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(अरूण कुमार हसीजा, आई0ए0एस0, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

नामान्तरण अपील: 18/2023

दायर दिनांक: 04.12.2023

निर्णय दिनांक 11.05.2026

—: अनवान :—

1. श्री हरिराम पिता किशनलाल उर्फ किशनराम जी जाति सालवी आयु वयस्क निवासी झांझर, तहसील व जिला राजसमन्द
2. श्रीमती सोहनीबाई पत्नि स्व. किशनलाल उर्फ किशनराम जी जाति सालवी आयु वयस्क निवासी झांझर, तहसील व जिला राजसमन्द
3. श्रीमती मोतीबाई पुत्री किशनलाल उर्फ किशनराम जी जाति सालवी आयु वयस्क निवासी झांझर हाल पति हेमारामजी सालवी, निवासी पसुन्द, तहसील व जिला राजसमन्द
4. श्रीमती मनुबाई पुत्री किशनलाल उर्फ किशनराम जी जाति सालवी आयु वयस्क निवासी झांझर हाल पति मदनलालजी सालवी, निवासी कनावदा, तहसील व जिला राजसमन्द

— अपीलार्थीगण

—: बनाम :—

1. श्री बंशीलाल पिता किशना जी जाति बलाई आयु वयस्क निवासी झांझर, तहसील व जिला राजसमन्द
2. श्री मांगीलाल पिता किशना जी जाति बलाई आयु वयस्क निवासी झांझर, तहसील व जिला राजसमन्द
3. श्रीमती हिराबाई पत्नि स्व. भुरालाल बलाई जाति बलाई आयु वयस्क निवासी झांझर, तहसील व जिला राजसमन्द
4. सीमाबाई पुत्री भुरालाल बलाई जाति बलाई आयु वयस्क निवासी झांझर, तहसील व जिला राजसमन्द
5. रूपीबाई पुत्री मुरालाल बलाई जाति बलाई आयु वयस्क निवासी झांझर, तहसील व जिला राजसमन्द
6. प्रेमी पुत्री भुरालाल बलाई जाति बलाई आयु अवयस्क नाबालिग जरिये संरक्षक माता हिराबाई निवासी झांझर, तहसील व जिला राजसमन्द
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भू अभिलेख) महोदय, राजसमन्द, मुकाम राजसमन्द, तहसील व जिला राजसमन्द

— रेस्पोडेण्टगण

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 687 दिनांक 16.08.2021 ग्राम झांझर, पटवार हल्का तलाई, तहसील राजसमन्द द्वारा तहसीलदार साहब (भू अभिलेख) राजसमन्द

उपस्थितः–

1. श्री जितेन्द्र पालीवाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री अनील बागोरा, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 07
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 06 अनुपस्थित (एकपक्षीय कार्यवाही)

–:: निर्णय ::–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अपील विरूद्ध तहसीलदार, राजसमन्द द्वारा पारित नामान्तरकण संख्या 687 दिनांक 16.08.2021 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि तहसीलदार साहब राजसमन्द के द्वारा स्वर्गीय किशनलाल उर्फ किशनराम पिता मानाराम के खातेदारी की राजस्व ग्राम झांझर, पटवार हल्का तलाई, तहसील राजसमन्द के खाता संख्या 28 के खसरा संख्या 1124 व खाता संख्या 44 के खसरा संख्या 1110 1111, 1112, 1113, 1114, 1121, 1122, 1123, 1132, 1203/1109, 711, 720, 722, 724 व खाता संख्या 45 के खसरा संख्या 687 का नामान्तरकरण रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 6 के पक्ष में निर्णित करनें से असन्तुष्ट होकर उक्त अपील प्रस्तुत हैं। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त कृषि भूमियों का नामान्तरकरण स्वर्गीय किशनलाल उर्फ किशनराम पिता मानाराम के हिस्से बाबत् रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 6 के पक्ष में निर्णय करनें में भारी चुक की हैं। स्वर्गीय किशनलाल उर्फ किशनराम पिता मानाराम के पीछे उनके निम्नलिखित वारिसान हैं, जिनका सजरा निम्नानुसार हैं

किशनलाल उर्फ किशनराम पिता मानाराम (फौत)

हरिराम (पुत्र) (अ. सं. 1)	सोहनीबाई (पत्नि) (अ. सं. 2)	मोतीबाई (पुत्री) (अ. सं. 3)	मनुबाई (पुत्री) (अ. सं. 4)

श्री किशनलाल उर्फ किशनराम पिता मानाराम की मृत्यु दिनांक 18.02.2017 को हो गई थी। जिसके अपीलान्ट संख्या 1 से 4 वारिसान हैं। जिसमें अपीलान्ट संख्या 1 पुत्र हैं, अपीलान्ट संख्या 2 पत्नि हैं, अपीलान्ट संख्या 3 व 4 पुत्रियां हैं। अपीलान्ट्स व रेस्पोंडेंट्स के पिता का नाम समान होनें व एक हीं गांव के निवासी होनें से रेस्पोंडेंट्स ने जानबुझकर तथ्यों को छिपाकर अपीलान्ट की सारी जमीन हड़पनें के उद्देश्य से उक्त नामान्तरकरण अपने नाम करवाया जो कानुनन अवैध हैं। उक्त नामान्तरकरण की जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 11.05.2023 को हुई, जब उसे

न्यायालय जिला कलक्टर ... (राज.)

पटवारी जी ने बताया कि यह जमीन रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 6 के नाम पर अंकित हो गई हैं, तब अपीलान्ट नें नामान्तरकरण की नकल निकलवाई, तब पता चला। दिनांक 16.08.2021 से दिनांक 11.05.2023 तक अपीलान्ट को उक्त नामान्तरकरण का कोई ज्ञान नहीं था व उसके बाद दिनांक 12.05.2023 को अपीलार्थी नें नकलें निकलवाई व उसके बाद पैसो की व्यवस्था में समय लगनें व अपील तैयार कराकर अन्य अपीलार्थी जो कि बाहर गांव के रहनें से उनके आनें के पश्चात हस्ताक्षर करानें के कारण अब यह अपील पेश की जा रही हैं, जो अन्दर मयाद प्रस्तुत हैं। दिनांक 16.08.2021 से दिनांक 11.05.2023 तक का समय अपीलान्ट को उक्त नामान्तरकरण का कोई ज्ञान नहीं होनें व दिनांक 12.05.2023 से अपील प्रस्तुत करनें तक की अवधी कण्डोन किये जानें योग्य हैं, जिसके लिये धारा 5 मयाद अधिनियम के अन्तर्गत अलग से प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र पेश हैं। अतः निवेदन हैं कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे।

अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन सूचना दी गई रेस्पोडेन्ट संख्या 07 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने उपस्थित तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 6 के नियत पेशी पर अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध दिनांक 17.11.2025 को एकपक्षीय कार्यवाही की आज्ञा पारित की गई।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की धारा 5 के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण सन्तोषप्रद होने से विलम्ब अवधि को न्यायहित में कन्डोन किया जाकर धारा 5 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मेमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि राजस्व ग्राम झांझर, पटवार हल्का तलाई, तहसील राजसमन्द के खाता संख्या 28 के खसरा संख्या 1124 व खाता संख्या 44 के खसरा संख्या 1110 1111, 1112, 1113, 1114, 1121, 1122, 1123, 1132, 1203/1109, 711, 720, 722, 724 व खाता संख्या 45 के खसरा संख्या 687 का नामान्तरकरण रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 6 के पक्ष में निर्णित करनें से असन्तुष्ट होकर उक्त अपील प्रस्तुत की हैं। श्री किशनलाल उर्फ किशनराम पिता मानाराम की मृत्यु दिनांक 18.02.2017 को हो गई थी। जिसके अपीलान्ट संख्या 1 से 4 वारिसान हैं। जिसमें अपीलान्ट संख्या 1 पुत्र हैं, अपीलान्ट संख्या 2 पत्नि हैं, अपीलान्ट संख्या 3 व 4 पुत्रियां हैं। अपीलान्ट्स व रेस्पोंडेंट्स के पिता का नाम समान होनें व एक हीं गांव के निवासी होनें से रेस्पोंडेंट्स ने जानबुझकर तथ्यों को छिपाकर अपीलान्ट की सारी जमीन हड़पनें के उद्देश्य से उक्त नामान्तरकरण अपने नाम करवाया जो कानुनन अवैध हैं। अतः निवेदन हैं कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस मे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, राजसमन्द द्वारा पारित किया गया आदेश विधिसम्मत है। किन्तु मृतक काश्तकार के नाम तथा उसके पिता के नाम समान होने के कारण संभवतः यह त्रुटि

न्यायालय जिला कलक्टर

कारित हुई। तहसीलदार राजसमन्द द्वारा नामान्तकरण में कोई त्रुटि कारित नहीं की गयी है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमायी जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर गहन मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में रेस्पोंडेंट (प्रतिवादी) संख्या 1 से 6 अनुपस्थित रहे हैं, और उनके विरुद्ध दिनांक 17.11.2025 को एकतरफा कार्रवाई अमल में लाई गई। विवादित नामांतरण (म्यूटेशन) कृषक श्री किशनराम पुत्र मानाराम की मृत्यु होने पर खोला गया। परन्तु इस म्यूटेशन में गाँव के अन्य निवासी, जिसका नाम भी किशनराम पुत्र मानाराम ही था, तो उसके उत्तराधिकारियों के नाम पर यह म्यूटेशन त्रुटिपूर्वक (गलती से) खोल दिया गया। मृतक काश्तकार के नाम तथा उसके पिता के नाम समान होने के कारण यह त्रुटि कारित हुई, जिसे रेस्पोंडेंट संख्या 07, तहसीलदार राजसमन्द ने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया है। तथा मृतक श्री किशनलाल उर्फ किशनराम पिता मानाराम बलाई के सही उत्तराधिकारी :– 1. श्री हरिराम (पुत्र), 2. श्रीमती सोनी बाई (पत्नी), 3. श्रीमती मोती बाई (पुत्री), 4. श्रीमती मन्नू बाई (पुत्री) को माना गया है। अर्थात यहाँ स्वयं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह रिपोर्ट दी गई है कि वास्तविक मृतक किशनलाल उर्फ किशनराम पिता मानाराम बलाई के उत्तराधिकारी वे नहीं हैं जिनके नाम पर म्यूटेशन खोला गया था। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर नामांतरण नंबर 687, दिनांक 16.08.2021 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार राजसमंद को यह निर्देश दिए जाते हैं कि वह मृतक श्री किशनलाल उर्फ किशनराम पिता मानाराम के सही उत्तराधिकारियों के नाम नियमानुसार नामांतरण की विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनः कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 11.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद